

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

मु. न. वि. वि. / 5/11

फर्द अहकाम

दिनांक 2.2.11

उन्वान - राजेश कनाम जयनारायण कौंठे

प्रार्थना - पत्र - बीच

प्रार्थी की ओरसे श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र उल्लंघन आदेश (बीच) अन्तर्गत आईर 39 कल 2 क के तहत पेश किया। अबलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करें अप्रार्थी जरिये जोरिष तलब का पत्रावली दिनांक 11.3.11 को पेश हो।

86771
21/11

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

11/3/11

सायल वकील उपस्थित। गोर सायल वकील की ओर से R.B. नम्बर 11वीं न वकालतनामा पेश किया। वास्तविक अवस्था जांच बीच दिनांक 22/3/11 को पेश हो।

22/3/11

सायल वकील उपस्थित। गोर सायल वकील उपस्थित। P.O. सा. अकका 2) पर पधार है। गानानुमा दिनांक 29/3/11 को पेश हो।

29/3/11

लकुणाय उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से भवार जांच बीच पेश किया गया। नकल प्रार्थी वकील को दिखाई गई। वास्तविक साक्ष्य सायल दिनांक 8/4/11 को पेश हो।

प्रायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

18 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 21.10.19 को पेश हो।

19 वकुलाय उपो/बहस हेतु समय-चाहा/समय-दिनांक/बहस हेतु दिनांक 7.11.19 को पेश हो।

7.11.19 वकुलाय उपो/गर्फी वकील ने बहस हेतु समय-चाहा/समय-दिनांक/वास्ते बहस दिनांक 21.11.19 को पेश हो।

21.11.19 वकुलाय उपो/बहस हेतु समय-चाहा/वास्ते बहस दिनांक 2.12.19 को पेश हो।

2.12.19 वकुलाय उपो/बहस हेतु पुनः समय-चाहा/समय-दिनांक/वास्ते बहस दिनांक 19.12.19 को पेश हो।

19.12.19 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य से अवकाश पर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 20.1.20 को पेश हो।

20.1.20 वकील अभ्यपत्र उपस्थित | गर्फी वकील ने यह उपकरण (बीच) Not-Press कर खारिज करने का दायर किया | अतः प्रार्थना कर बीच Not-Press में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसलेशुमार होकर बन्द हो से काम होकर दाखिल दफतार हो।

Not Press

(20) 2ms

